दिनांक 22.10.2026
प्रेस विज्ञप्ति 540/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चन्दौली/थाना बलुआ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ रूपये (कीमत) की 1200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **3700/–रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 21.10.2026 को थाना बलुआ व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–लताश 2–वीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ रूपये (कीमत) की 1200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 3700/–रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 ट्रक आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बलुआ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लताश निवासी मलाहात थाना उन्ना जनपद उन्ना, हिमाचल प्रदेश।

2–वीरेन्द्र निवासी मलखपुर थाना लालडू जनपद मोहाली एचएएस नगर, पंजाब।

बरामदगी

1–लगभग 02 करोड़ रूपये (कीमत) की 1200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–3700/–रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 ट्रक आदि।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 53–53 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रदीप कुमार 2–रविन्द्र को सश्रम आजीवन कारावास व 53–53 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना परसरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संतराम उर्फ गुड्डू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना खड्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना खड्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रिंस को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————